रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 9, 2000/वैशाख 19, 1922

No. 317] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 9, 2000/VAISAKHA 19, 1922

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2000

का.आ. 444(अ).— जबकि केन्द्र सरकार ने बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 (1984 का 51) (जिसे एतंद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 99 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ लि०, नई दिल्ली को अपने दिनांक 18.10.96 की अधिसूचना सं. आर-11017/23/95-एल एंड एम के तहत उक्त अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों से छूट प्रदान की ।

तथा जबकि उच्चतम न्यायालय ने भारतीय श्रम सहकारी समिति लि० तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में 1999 की सी.ए.सं. 223 में अपने दिनांक 20.7.99 के आदेश के तहत यह निर्णय दिया है कि धारा 36 तथा 37 पद धारित करने के इच्छुक या पद धारित करने वाले व्यक्ति से संबंधित है तथा किसी बहु-राज्य सहकारी समिति से संबंधित नहीं है । उक्त अधिनियम की धारा 99 (2) सहकारी समितियों के मामले में लागू है, व्यक्तियों के मामले में नहीं । अतः उक्त अधिनियम की धारा 99 (2) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उक्त अधिनियम की धारा 36 तथा 37 के तहत छूट नही दी जा सकती है ।

अतः अब सावधानी से विचार करने के पश्चात तथा उक्त अधिनियम की धारा 99 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ लि०, नई दिल्ली को अपने दिनांक 18.10.96 की अधिसूचना सं. आर-11017/23/95-एल एंड एम के तहत उक्त अधिनियम के तहत उक्त अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों से दी गई छूट को तत्काल प्रभाव से वापस लेती है ।

[फा. सं. आर-11017/23/95-एल एंड एम]

के. एस. भोरिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2000

S.O. 444(E).— Whereas the Central Government exercising the powers conferred by sub-section (2) of section 99 of the Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984) (hereinafter referred to as the said Act exempted the National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd., New Delhi from the provisions of section 37 of the said Act vide its notification number R-11017/23/95-L&M dated 18.10.1996.

And whereas the Supreme Court vide its order dated 20.7.1999 in CA No. 223 of 1999 in the matter of Indian Labour Cooperative Society Limited and another Vs. Union of India and others has held that section 36 & 37 is directed at a person holding or aspiring to hold office and is not directed at any multi-state cooperative society. The question of granting exemption to a multi-state cooperative society under section 36 & 37 of the said Act does not arise and is not covered by section 99(2).

Now, therefore, after careful consideration, and in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of section 99 of the said Act, the Central Government hereby withdraw the exemption granted to National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd., New Delhi from the provision of Section 37 of the said Act vide its notification number R-11017/23/95-L&M dated 18.10.1996 with immediate effect.

[F. No. R-11017/23/95-L&M]

K. S. BHORIA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2000

का.आ. 445(अ).— जबकि केन्द्र सरकार ने बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 (1984 का 51) (जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 99 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दौलत सहकारी साखर कारखाना लि० को अपने दिनांक 18.5.98 की अधिसूचना सं. आर-11017/23/95-एल एंड एम के तहत उक्त अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों से छूट प्रदान की ।

तथा जबकि उच्चतम न्यायालय ने भारतीय श्रम सहकारी समिति लि० तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में 1999 की सी.ए.सं. 223 में अपने दिनांक 20.7.99 के आदेश के तहत यह निर्णय दिया है

कि धारा 36 तथा 37 पद धारित करने के इच्छुक या पद धारित करने वाले व्यक्ति से संबंधित है तथा किसी बहु-राज्य सहकारी समिति से संबंधित नहीं है । उक्त अधिनियम की धारा 99 (2) सहकारी समितियों के मामले में लागू है, व्यक्तियो के मामले में नहीं । अत· उक्त अधिनियम की धारा 99 (2) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उक्त अधिनियम की धारा 36 तथा 37 के तहत छूट नहीं दी जा सकती है ।

अतः अब सावधानी से विचार करने के पश्चात तथा उक्त अधिनियम की धारा 99 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दौलत सहकारी साखर कारखाना लि० को अपने दिनांक 18.5.98 की अधिसूचना सं. आर-11017/23/95-एल एंड एम के तहत उक्त अधिनियम के तहत उक्त अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों से दी गई छूट को तत्काल प्रभाव से वापस लेती है ।

[फा. सं. आर-11017/23/95-एल एंड एम]

के. एस. भोरिया, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2000

S.O. 445(E).— Whereas the Central Government exercising the powers conferred by sub-section (2) of section 99 of the Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984) (hereinafter referred to as the said Act exempted the Daulat Shetkari Sehakari Sakhar Karkhana Ltd. from the provisions of section 36 of the said Act vide its notification number R-11017/23/95-L&M dated 18.05.1998.

And whereas the Supreme Court vide its order dated 20.7.1999 in CA No. 223 of 1999 in the matter of Indian Labour Cooperative Society Limited and another Vs. Union of India and others has held that section 36 & 37 is directed at a person holding or aspiring to hold office and is not directed at any multi-state cooperative society. The question of granting exemption to a multi-state cooperative society under section 36 & 37 of the said Act does not arise and is not covered by section 99(2).

Now, therefore, after careful consideration, and in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of section 99 of the said Act, the Central Government hereby withdraw the exemption granted to Daulat Shetkari Sehakari Sakhar Karkhana Ltd. from the provision of Section 36 of the said Act vide its notification number R-11017/23/95-L&M dated 18.05.1998 with immediate effect.

[F. No. R-11017/23/95-L&M]

K. S. BHORIA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2000

का.आ. 446(अ).— जबकि केन्द्र सरकार ने बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 (1984 का 51) (जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 99 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ लि०, नई दिल्ली को अपने दिनांक 18.5.98 की अधिसूचना सं. आर-11017/23/95-एल एंड एम के तहत उक्त अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों से छूट प्रदान की ।

तथा जबकि उच्चतम न्यायालय ने भारतीय श्रम सहकारी समिति लि० तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में 1999 की सी.ए.सं. 223 में अपने दिनांक 20.7.99 के आदेश के तहत यह निर्णय दिया है कि धारा 36 तथा 37 पद धारित करने के इच्छुक या पद धारित करने वाले व्यक्ति से संबंधित है तथा किसी बहु-राज्य सहकारी समिति से संबंधित नहीं है । उक्त अधिनियम की धारा 99 (2) सहकारी समितियों के मामले में लागू है, व्यक्तियों के मामले में नही । अतः उक्त अधिनियम की धारा 99 (2) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उक्त अधिनियम की धारा 36 तथा 37 के तहत छूट नहीं दी जा सकती है ।

अतः अब सावधानी से विचार करने के पश्चात तथा उक्त अधिनियम की धारा 99 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ लि०, नई दिल्ली को अपने दिनांक 18.5.98 की अधिसूचना सं. आर-11017/23/95-एल एंड एम के तहत उक्त अधिनियम के तहत उक्त अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों से दी गई छूट को तत्काल प्रभाव से वापस लेती है ।

[फा. सं. आर-11017/23/95-एल एंड एम]

के. एस. भोरिया, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2000

S.O. 446(E).— Whereas the Central Government exercising the powers conferred by sub-section (2) of section 99 of the Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984) (hereinafter referred to as the said Act exempted the National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd., New Delhi from the provisions of section 36 of the said Act vide its notification number R-11017/23/95-L&M dated 18.05.1998.

And whereas the Supreme Court vide its order dated 20.7.1999 in CA No. 223 of 1999 in the matter of Indian Labour Cooperative Society Limited and another Vs. Union of India and others has held that section 36 & 37 is directed at a person holding or aspiring to hold office and is not directed at any multi-state cooperative society. The question of granting exemption to a multi-state cooperative society under section 36 & 37 of the said Act does not arise and is not covered by section 99(2).

Now, therefore, after careful consideration, and in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of section 99 of the said Act, the Central Government hereby withdraw the exemption granted to National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd., New Delhi from the provision of Section 36 of the said Act vide its notification number R-11017/23/95-L&M dated 18.05.1998 with immediate effect.

[F. No. R-11017/23/95-L&M]
K. S. BHORIA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2000

का.आ. 447(अ).— जबकि केन्द सरकार ने बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 (1984 का 51) (जिसे एतदपश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 99 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिम्पसन एंड ग्रुप कम्पनीज इम्प्लाईज को-ऑपरेटिव सोसायटी लि०, चेन्नई को अपने दिनांक 25.3.98 की अधिसूचना सं आर-11017/23/95-एल एंड एम के तहत उक्त अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों से छूट प्रदान की ।

तथा जबकि उच्चतम न्यायालय ने भारतीय श्रम सहकारी समिति लि० तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में 1999 की सी.ए.सं. 223 में अपने दिनांक 20.7.99 के आदेश के तहत यह निर्णय दिया है कि धारा 36 तथा 37 पद धारित करने के इच्छुक या पद धारित करने वाले व्यक्ति से संबंधित है तथा किसी बहु-राज्य सहकारी समिति से संबंधित नहीं है । उक्त अधिनियम की धारा 99 (2) सहकारी समितियों के मामले में लागू है, व्यक्तियो के मामले मे नही । अत उक्त अधिनियम की धारा 99 (2) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उक्त अधिनियम की धारा 36 तथा 37 के तहत छूट नही दी जा सकती है ।

अत अब सावधानी से विचार करने के पश्चात तथा उक्त अधिनियम की धारा 99 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा सिम्पसन एंड ग्रुप कॉस इम्प्लाईज को-ऑपरेटिव सोसायटी लि०, चेन्नई को अपने दिनांक 25.3.98 की अधिसूचना सं. आर-11017/23/95-एल एंड एम के तहत उक्त अधिनियम के तहत उक्त अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानो से दी गई छूट को तत्काल प्रभाव से वापस लेती है ।

[फा. सं. आर-11017/23/95-एल एंड एम]
के. एस. भोरिया, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2000

S.O. 447(E).— Whereas the Central Government exercising the powers conferred by sub-section (2) of section 99 of the Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984) (hereinafter referred to as the said Act exempted the Simpson & Group Companies Employees Cooperative Society Ltd., Chennai from the provisions of section 37 of the said Act vide its notification number R-11017/23/95-L&M dated 25.03.1998.

And whereas the Supreme Court vide its order dated 20.7.1999 in CA No. 223 of 1999 in the matter of Indian Labour Cooperative Society Limited and another Vs. Union of India and others has held that section 36 & 37 is directed at a person holding or aspiring to hold office and is not directed at any multi-state cooperative society. The question of granting exemption to a multi-state cooperative society under section 36 & 37 of the said Act does not arise and is not covered by section 99(2).

Now, therefore, after careful consideration, and in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of section 99 of the said Act, the Central Government hereby withdraw the exemption granted to the Simpson & Group Companies Employees Cooperative Society Ltd., Chennai from the provision of Section 37 of the said Act vide its notification number R-11017/23/95-L&M dated 25.03.1998 with immediate effect.

[F. No. R-11017/23/95-L&M]
K. S. BHORIA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2000

का.आ. 448(अ).—जबकि केन्द्र सरकार ने बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 (1984 का 51) (जिसे एतदपश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 99 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कामर्शियल इम्प्लाईज को-ऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटी लि०, चेन्नई को अपने दिनांक 25.3.98 की अधिसूचना सं. आर-11017/23/95-एल एंड एम के तहत उक्त अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों से छूट प्रदान की ।

तथा जबकि उच्चतम न्यायालय ने भारतीय श्रम सहकारी समिति लि० तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में 1999 की सी.ए.सं. 223 में अपने दिनांक 20.7.99 के आदेश के तहत यह निर्णय दिया है कि धारा 36 तथा 37 पद धारित करने के इच्छुक या पद धारित करने वाले व्यक्ति से संबंधित है तथा किसी बहु-राज्य सहकारी समिति से संबंधित नहीं है । उक्त अधिनियम की धारा 99 (2) सहकारी समितियों के मामले में लागू है, व्यक्तियों के मामले में नहीं । अतः उक्त अधिनियम की धारा 99 (2) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उक्त अधिनियम की धारा 36 तथा 37 के तहत छूट नहीं दी जा सकती है ।

अतः अब सावधानी से विचार करने के पश्चात तथा उक्त अधिनियम की धारा 99 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कामर्शियल इम्प्लाईज को-ऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटी लि० चेन्नई को अपने दिनांक 25.3.98 की अधिसूचना सं. आर-11017/23/95-एल एंड एम के तहत उक्त अधिनियम के तहत उक्त अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों से दी गई छूट को तत्काल प्रभाव से वापस लेती है ।

[फा. सं. आर-11017/23/95-एल एंड एम]

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2000

S.O. 448(E).— Whereas the Central Government exercising the powers conferred by sub-section (2) of section 99 of the Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984) (hereinafter referred to as the said Act exempted the Commercial Employees Cooperative Thrift and Credit Society Ltd., Chennai from the provisions of section 37 of the said Act vide its notification number R-11017/23/95-L&M dated 25.03.1998.

And whereas the Supreme Court vide its order dated 20.7.1999 in CA No. 223 of 1999 in the matter of Indian Labour Cooperative Society Limited and another Vs. Union of India and others has held that section 36 & 37 is directed at a person holding or aspiring to hold office and is not directed at any multi-state cooperative society. The question of granting exemption to a multi-state cooperative society under section 36 & 37 of the said Act does not arise and is not covered by section 99(2).

Now, therefore, after careful consideration, and in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of section 99 of the said Act, the Central Government hereby withdraw the exemption granted to the Commercial Employees Cooperative Thrift & Credit Society Ltd., Chennai from the provision of Section 37 of the said Act vide its notification number R-11017/23/95-L&M dated 25.03.98 with immediate effect.

[F. No. R-11017/23/95-L&M]

K. S. BHORIA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2000

का.आ. 449(अ).— जबकि केन्द्र सरकार ने बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 (1984 का 51) (जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 99 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिरपुर सेतकारी सहकारी साखर कारखाना लि० को अपने दिनांक 18.5.98 की अधिसूचना सं. आर-11017/23/95-एल एंड एम के तहत उक्त अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों से छूट प्रदान की ।

तथा जबकि उच्चतम न्यायालय ने भारतीय श्रम सहकारी समिति लि० तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में 1999 की सी.ए.सं. 223 में अपने दिनांक 20.7.99 के आदेश के तहत यह निर्णय दिया है कि धारा 36 तथा 37 पद धारित करने के इच्छुक या पद धारित करने वाले व्यक्ति से संबंधित है तथा किसी

बहु-राज्य सहकारी समिति से संबंधित नहीं है । उक्त अधिनियम की धारा 99 (2) सहकारी समितियों के मामले में लागू है, व्यक्तियों के मामले में नहीं । अतः उक्त अधिनियम की धारा 99 (2) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उक्त अधिनियम की धारा 36 तथा 37 के तहत छूट नहीं दी जा सकती है ।

अतः अब सावधानी से विचार करने के पश्चात तथा उक्त अधिनियम की धारा 99 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा शिरपुर सेतकारी सहकारी साखर कारखाना लि० को अपने दिनांक 18.5.98 की अधिसूचना सं. आर-11017/23/95-एल एंड एम के तहत उक्त अधिनियम के तहत उक्त अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों से दी गई छूट को तत्काल प्रभाव से वापस लेती है ।

[फा. सं. आर-11017/23/95-एल एंड एम]

के. एस. भोरिया, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2000

S.O. 449(E).— Whereas the Central Government exercising the powers conferred by sub-section (2) of section 99 of the Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984) (hereinafter referred to as the said Act exempted the Shirpur Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. from the provisions of section 36 of the said Act vide its notification number R-11017/23/95-L&M dated 18.05.1998.

And whereas the Supreme Court vide its order dated 20.7.1999 in CA No. 223 of 1999 in the matter of Indian Labour Cooperative Society Limited and another Vs. Union of India and others has held that section 36 & 37 is directed at a person holding or aspiring to hold office and is not directed at any multi-state cooperative society. The question of granting exemption to a multi-state cooperative society under section 36 & 37 of the said Act does not arise and is not covered by section 99(2) .

Now, therefore, after careful consideration, and in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of section 99 of the said Act, the Central Government hereby withdraw the exemption granted to Shirpur Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. from the provision of Section 36 of the said Act vide its notification number R-11017/23/95-L&M dated 18.05 1998 with immediate effect.

[F. No. R-11017/23/95-L&M]

K. S. BHORIA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.